भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. **485**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 06 दिसंबर,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईपीईएफ

+485. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री राहुल रमेश शेवालेः
श्री भोला सिंहः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित इंडो-पैसिफिक इकनोमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) की बैठक में भाग लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बैठक के दौरान आईपीईएफ के अन्य भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ अपनी तरह के पहले आईपीईएफ सप्लाई चेन रेसिलिएंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने आईपीईएफ के अंतर्गत परिकल्पित सहकारी कार्य के शीघ्र कार्यान्वयन का भी आग्रह किया है:
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा आईपीईएफ के सामूहिक लक्ष्यों, विशेषकर स्वच्छ अर्थव्यवस्था के संक्रमण के लिए किफायती वित्तपोषण जुटाने और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में सहयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत ने दिनांक 13-14 नवंबर, 2023 को आयोजित समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) की तृतीय-व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक और दिनांक 16

नवंबर, 2023 को आयोजित आईपीईएफ लीडर्स की बैठक में भाग लिया। ये दोनों निर्धारित कार्यक्रम अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किए गए थे।

(ग) से (छ): जी हाँ, दिनांक 14 नवंबर, 2023 को आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, भारत ने अन्य आईपीईएफ भागीदार देशों के साथ, आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज की तारीख तक, यह समझौता प्रभावी नहीं हुआ है। समझौते के प्रावधानों के अनुसार, प्रविष्टि उस तारीख के 30 दिन बाद प्रभावी होगी जिस दिन आईपीईएफ सदस्यों में से कम से कम पांच डिपॉजिटरी के साथ अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के अपने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।

आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता से आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने की आशा है, और समग्र रूप से क्षेत्र के आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान देगा। इसके अतिरिक्त, आईपीईएफ स्तंभ-III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) के तहत, भारत ने अभिनव और वहनीय जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

आईपीईएफ स्तंभ-III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) और स्तंभ-IV (उचित अर्थव्यवस्था) पर वार्ता नवंबर 2023 में मूलतः संपन्न हो गई थी। कानूनी जांच, घरेलू अनुमोदन, हस्ताक्षर और अनुसमर्थन प्रक्रियाओं के बाद इन समझौतों के प्रभावी होने की भी संभावना है।

जब और जैसे ही ये आईपीईएफ करार कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करेंगे, भारत सरकार स्वच्छ अर्थव्यवस्था परिवर्तन के लिए वहनीय वित्तपोषण जुटाने और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए आईपीईएफ भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से आईपीईएफ स्तंभ-III स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच सहित विभिन्न आईपीईएफ स्तंभ II से IV के तहत परिकल्पित सहयोगी कार्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तत्पर है।

*****